दिनांक 12.10.2026 को सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा से संबंधित बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– विवरणी संलग्न।

दिनांक 12.10.2026 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित निदेश दिये गयेः–

1. **मॉड्यूल के माध्यम से गोदामों के Stock Verification की समीक्षाः–** मॉड्यूल के माध्यम से गोदामों के Stock Verification की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लातेहार जिला को छोड़कर अन्य जिलों द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि जिला स्थित झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के सभी गोदामों में रक्षित खाद्यान्नों का Stock Verification App के माध्यम से सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सभी गोदामों में भण्डारित खाद्यान्नों का Stock Verification कर App में प्रविष्टि किया जायेगा। संबंधित कार्य दिनांक 31.10.2026 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

 (अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक)।

2. **मॉड्यूल के माध्यम से गोदाम एवं जन वितरण प्रणाली दुकानों की निरीक्षण की समीक्षाः–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 239 गोदामों के विरूद्ध क्रमशः 19 गोदामों एवं 18 गोदामों का Inspection प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया गया है। इस संबंध में प्रखण्ड स्थित झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची के सभी गोदामों एवं एक तिहाई जन वितरण प्रणाली दुकानों का Inspection ऑनलाईन मॉडयूल के माध्यम से दिनांक 31.10.2026 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही कतिपय पदाधिकारियों द्वारा Inspection ऑनलाईन मॉडयूल के उपयोग से संबंधित आ रही कठिनाईयों का उल्लेख किया गया। इस संबंध में एक ऑनलाईन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन दिनांक 14.10.2026 को आयोजित करने का निदेश दिया गया।

 (अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/एन०आई०सी०, राँची)।

3. **डोर स्टेप डिलिवरी (L2) हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहनों में VLTS अधिष्ठापन, Integration एवं उठाव की समीक्षाः–**समीक्षा के क्रम में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम तक खाद्यान्न के परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों (L1) तथा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से जन वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्न के डोर स्टेप डिलिवरी कार्य में प्रयुक्त जिन वाहनों (L2) में VLTS Installation, उसका Command and Control Centre (CCC) के पोर्टल पर Integration एवं उसका परिचालन संबंधी डाटा Real time में पोर्टल पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उन वाहनों से खाद्यान्न का उठाव एवं डोर स्टेप डिलिवरी का कार्य दिनांक 15.10.2026 के पश्चात् नहीं किये जाने का निदेश दिया गया। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न के साथ निकलने वाली गाड़िया झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम 06:00 बजे अपराह्न के बाद पहुँचना उचित नहीं है। इसी प्रकार झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक गाड़ियाँ 06:00 बजे अपराह्न के बाद पहुँचना उचित नहीं है। अतः निदेश दिया गया कि खाद्यान्न का गंतव्य ससमय पहुँचाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। जिस दिन खाद्यान्न का उठाव होगा उसी दिन खाद्यान्न गंतव्य तक पहुँचना एवं पोर्टल में ससमय प्रविष्टि करना सुनिश्चित किया जाय।

 साथ ही, VLTS Activation, Integration & L1 Movement हेतु संलग्न वाहनों के संचालन से संबंधित पोर्टल में खूँटी जिले का समस्त डाटा शून्य प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी एवं परिवहन अभिकर्त्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

सिमडेगा जिले के कतिपय प्रखण्ड (यथा–बानो, कुरडेग तथा जलडेगा) भौगोलिक दृष्टि से दुरस्थ एवं दुर्गम है। जहाँ खाद्यान्न पहुँचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। ऐसी स्थिति में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों तक खाद्यान्न Same day नहीं पहुँच पाता है। इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम को पत्र प्रेषित करने का निदेश दिया गया। खरीफ विपणन मौसम 2026–27 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत धान का लैम्पस/पैक्सों से मिलों तक के परिवहन का कार्य VTS Enabled वाहनों द्वारा ही करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/एन०आई०सी०, राँची/विभाग)।

4. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न का उठाव, डोर स्टेप डिलिवरी एवं वितरण की समीक्षाः**–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह अक्टूबर, 2026 में खाद्यान्न का उठाव के अवधि विस्तार के पश्चात भी 96.05% ही हुआ है। कतिपय जिलों यथा– पूर्वी सिंहभूम एवं राँची द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया। इस संबंध में निदेश दिया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम एवं राँची से स्पष्टीकरण किया जाय।

माह अक्टूबर, 2026 डोर स्टेप डिलिवरी के संबंध में समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक 68.79% प्रतिशत खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलिवरी हुआ है, जिसमें से चतरा, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, कोडरमा, पाकुड़, पलामू एवं राँची जिला में न्यूनतम डोर स्टेप डिलिवरी हुआ है। इस संबंधि निदेश दिया गया कि दिनांक 15.10.2026 तक डोर स्टेप डिलिवरी का कार्य पूर्ण कर लिया जाय।

माह अक्टूबर, 2026 में वितरण का कार्य 7.67% हुआ है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि पर्व के पूर्व वितरण कार्य पूर्ण किया जाय। साथ ही, वितरण के संबंध में अवधि विस्तारित नहीं किया जायेगा।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह नवम्बर, 2026 का उठाव कार्य देवघर, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, रामगढ़, राँची, सरायकेला–खरसावाँ, पश्चिमी सिंहभूम एवं सिमडेगा में 20% से कम है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि दिनांक 20.10.2026 तक माह नवम्बर, 2026 का खाद्यान्न उठाव का कार्य पूर्ण कर लिया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/विभाग)।

5. Direct Door Step Delivery के उठाव की विस्तारित अवधि में Door Step Delivery पूर्ण नहीं कराने के लिए विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची को स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। Direct Door Step Delivery कार्य में संलग्न कर्मी/कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा Lifting की सही सही प्रविष्टि ससमय नहीं किया गया। इसके लिए संबंधित कर्मी को हटाया जाना है एवं Advisory जारी करना है कि उसको कहीं भी एतद् संबंधी कार्य में नहीं रखा जाय। इस माह में दुर्गापूजा के कारण अवकाश रहेगा। अतः इसको ध्यान में रखकर ससमय उठाव कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–MD, JSFC/ विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची)।

6. **झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलिवरी एवं खाद्यान्न के वितरण डिलिवरी की समीक्षाः**– झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के संचालन हेतु जिन–जिन जिलों को जहाँ–जहाँ से CMR भेजा जाना है, वहाँ CMR शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को दिया गया। CMR की कमी के कारण डोर स्टेप डिलिवरी का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस योजनान्तर्गत भी डोर स्टेप डिलिवरी प्रत्येक माह के 15 तारीख तक पूर्ण हो जाना चाहिए।

(अनुपालन–MD, JSFC/ संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकार, गिरिडीह)।

7. CCC के Vendor M/s Amozon द्वारा उनके सॉफ्टवेयर का अभी तक Audit नहीं कराया गया है। इसमें उनके द्वारा 01 माह से अधिक समय व्यतीत किया जा चुका है। उन्हें एकरारनामा के प्रावधान के अनुसार नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–MD, JSFC)।

8. CCC के Vendor M/s Amozon को निदेश दिया गया कि विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को App में बिना Login किये हो Alert आना चाहिए। यह कार्य 03 दिनों के अंदर सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् अगली माह के 01 तारीख को Jan Johar App एवं आहार पोर्टल में कितना खाद्यान्न उठाव प्रदर्शित हो रहा है। इससे संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–MD, JSFC/विभागीय PDS PMU/ M/s Amozon Solution)।

9. PVTG डाकिया योजान्तर्गत खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलिवरी का विपत्र प्रत्येक माह के 10 तारीख तक भुगतान कर दिया जाना है। कई जिलों द्वारा राशि अधिक आवंटित होने की बात कही गई। सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पूरे वित्तीय वर्ष में व्यय होने वाली राशि का आकलन कर बचत की राशि की इस माह के अन्त तक प्रत्यर्पण कर दिया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड)।

10. PVTG को AAY अन्तर्गत आच्छादित किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु सर्वप्रथम झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत आच्छादित किया जायेगा, जिसे कालान्तर में AAY में Shift किया जायेगा। अनूसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा राज्य में PVTG के House Hold की संख्या के आलोक में कई PVTG House Hold राशनकार्ड से आच्छादित नहीं है। निदेश दिया गया कि PVTG के छुटे हुए House Hold को राशनकार्ड से आच्छादित किया जाय। PVTG में ऐसा देखा गया कि Single Member Card ज्यादा है। PVTG को आच्छादित करने में यह ध्यान रखा जायेगा कि यदि परिवार में Card है तो उसे Add Member के रूप में उसके परिवार के Card में Add किया जायेगा। राशनकार्ड नहीं रहने वाले AAY को Card से आच्छादित किया जायेगा।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड)।

11. NFSA अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 तक बकाया राशि के भुगतान हेतु आवंटित राशि के विरूद्ध नियमानुसार अविलम्ब व्यय करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड)।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्र संख्या–813/वि०, दिनांक 05.03.2014 के आलोक में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची एवं सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा Income Tax Act के प्रावधानानुसार at source deduction के रूप में कटौती किया जाना है। Income Tax Act के अनुसार Individual or Hindu Undivided Family श्रेणी के परिवहन अभिकर्त्ता के विपत्र से 01% (एक प्रतिशत) तथा इसके इत्तर अन्य श्रेणी के परिवहन अभिकर्त्ता के विपत्र से 02% (दो प्रतिशत) T.D.S. की कटौती किये जाने का निदेश दिया गया। कुछ जिलों द्वारा उक्त बैठक में कम T.D.S कटौती की सूचना दी गई। यदि पूर्व में परिवहन अभिकर्त्ता के पूर्व के विपत्रों से उक्त निर्धारित दरों से कम राशि की कटौती की गई हो तो आगामी विपत्रों से समतुल्य राशि की कटौती करते हुए समायोजन किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–MD, JSFC/सभी DM, JSFC)।

13. **KMS 2025-26 धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत राईस मिलों में अवशेष धान भेजे जाने संबंधी समीक्षाः**–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत विभागीय पत्रांक–2531 दिनांक 10.09.2026 द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो द्वारा ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण सचिव महोदय द्वारा खेद व्यक्त करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। साथ ही, गढ़वा जिला में खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत राईस मिलों में अवशेष धान भेजे जाने के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा प्राथमिक दर्ज करने एवं दोषी को जेल भेजे जाने का कार्य पूर्ण होने की बात बतायी गयी।

इस क्रम में दोषी के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को दिया गया।

समीक्षा के क्रम में Contigency Bill से संबंधित सूची प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा तैयार कर सचिव महोदय के माध्यम से महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य, राँची को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत Incidental Payment यथा– Commission to Society, Trasport & Handling and New Jute Bag के लंबित भुगतान का विपत्र तैयार कर सभी जिलों के जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम को दिनांक 31.10.2026 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–MD, JSFC/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/विभाग)।

14. **सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना अन्तर्गत आपूर्ति आदेश की समीक्षाः–** सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना अन्तर्गत निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–3078, दिनांक 27.11.2020 के तहत दिनांक 16.02.2022 तक 10/– रूपये प्रति वस्त्र, संकल्प संख्या–508, दिनांक 17.02.2022 के तहत दिनांक 25.10.2023 तक 09/– रूपये प्रति वस्त्र एवं संकल्प संख्या–3091, दिनांक 26.10.2023 के पश्चात् 07/– रूपये प्रति वस्त्र सरकारी कोष में जमा करने का प्रावधान है।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि इस योजनान्तर्गत विभिन्न छमाही अवधि में वितरित किए गए वस्त्रों के उपरांत संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सरकारी राजकोष में जमा किये गये उक्त राशि से संबंधित प्रत्येक छमाही अवधिवार प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन– सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/एन०आई०सी०, राँची)।

15. **मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना की समीक्षाः–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह अक्टूबर, 2026 का वितरण 7.53 प्रतिशत हुआ है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सभी जिलों में नमक का वितरण ससमय पूर्ण किया जाय। साथ ही, गोदामों में भी भण्डारित नमक का डोर स्टेप डिलिवरी प्रत्येक माह के अंतिम तिथि तक करते हुए नमक का ससमय वितरण करने का निदेश दिया गया। कतिपय जिला आपूर्ति पदाधिकारियों यथा– लोहरदगा एवं पाकुड़ द्वारा बताया गया कि उनके जिले में नमक भण्डारण का भौतिक मात्रा शून्य है परन्तु आहार पोर्टल पर अवशेष बचे नमक की मात्रा परिलक्षित हो रही है। इस संबंध में भण्डारित नमक एवं अवशेष बचे नमक का आहार पोर्टल में प्रदार्शित हो रहे आँकड़े में त्रुटि/भिन्नता के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन कारण सहित विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को दिया गया। साथ ही, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा नमक के सैम्पल का Lab test के रिपोर्ट में आयोडीन की कमी होने की बात बतायी गई। इस संबंध में नमक का सैम्पल State Lab से Test कराने एवं Lab रिपोर्ट आने तक नमक का वितरण नहीं करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/एन०आई०सी०, राँची)।

16. **मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना की समीक्षाः–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह सितम्बर, 2026 का वितरण 34.17 प्रतिशत हुआ है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सभी जिलों के गोदामों में भण्डारित चना दाल का डोर स्टेप डिलिवरी प्रत्येक माह के अंतिम तिथि तक पूर्ण करते हुए चना दाल का वितरण ससमय पूर्ण किया जाय। कतिपय जिला आपूर्ति पदाधिकारियों यथा–धनबाद, दुमका, पाकुड़ एवं सिमडेगा द्वारा बताया गया कि उनके जिले में चना दाल भण्डारण का भौतिक मात्रा शून्य है परन्तु आहार पोर्टल पर अवशेष बचे चना दाल की मात्रा परिलक्षित हो रही है। इस संबंध में चना दाल के भण्डारण एवं अवशेष बचे चना दाल का आहार पोर्टल में प्रदार्शित हो रहे आँकड़े में त्रुटि/भिन्नता के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन कारण सहित विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/एन०आई०सी०, राँची)।

17. **सरकारी भोजन केन्द्र योजना एवं अन्य राज्य योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यय की जिलावार समीक्षाः–** सरकारी भोजन केन्द्र योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री दाल भात केन्द्रों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय की गई राशि की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में गढ़वा एवं पलामू जिला का व्यय शून्य पाया गया। इस संबंध में निदेश दिया गया कि पलामू जिला को पुनः स्पष्टीकरण पूछा जाय। गढ़वा जिला द्वारा सूचित किया गया कि उनसे किये गये स्पष्टीकरण का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री दाल–भात योजनान्तर्गत समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय जिलों के पास मुख्यमंत्री दाल–भात योजनान्तर्गत आवंटित राशि के विरूद्ध अवशेष राशि बच रहे हैं। इस संबंध में निदेश दिया गया कि अवशेष राशि को प्रत्यर्पित किया जाय, ताकि राशि दूसरे जिलों को आवंटित अथवा दूसरे मद में उपयोग किया जा सके। जिलों के द्वारा आदर्श दाल–भात केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव दिनांक 15.11.2026 तक विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/विभाग)।

18. **गोदाम निर्माण, मरम्मति एवं आवश्यक उपकरण के अधिष्ठापन की समीक्षाः–**

18.1 **गोदाम मरम्मति–** वित्तीय वर्ष 2024–25 में गोदाम मरम्मति मद में आवंटित पूर्वी सिंहभूम जिला के डुमरिया प्रखण्ड स्थित गोदाम मरम्मति का कार्य माह दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराने की सूचना जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा दी गई। उक्त के क्रम में मरम्मति कार्य माह दिसम्बर, 2026 तक निश्चित रूप से पूर्ण कराते हुए हस्तांतरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में गोदाम मरम्मति मद में आवंटित धनबाद एवं सरायकेला–खरसावाँ जिले के अन्तर्गत स्थित गोदामों के मरम्मति कार्य माह दिसम्बर, 2026 तक निश्चित रूप से पूर्ण कराते हुए कार्य की गुणवत्ता की जाँच कर हस्तांतरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में गोदाम मरम्मति कार्य हेतु Loading, Unloading Platform, Shed, Seepage हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन की आवश्यकता अनुरूप अपने स्तर से जाँच कर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी)।

18.2 **गोदाम निर्माण–** वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1000 मे० टन क्षमता के गोदाम निर्माण मद में आवंटित गोदामों का कार्य 100% पूर्ण कराने, पूर्ण गोदामों को चालू कराने तथा आवश्यकतानुरूप NIC से Code generate कर Lat-long कराने का निदेश दिया गया।

साहेबगंज जिलान्तर्गत नये गोदाम के निर्माण हेतु चयनित स्थल पर विवाद उत्पन्न होने के फलस्वरूप कार्य में विलम्ब होने की स्थिति में दूसरे स्थल का चयन कर प्रतिवेदन प्रस्ताव सहित उपलब्ध कराने एवं धान अधिप्राप्ति से पूर्व कार्य पूर्ण कराये जाने का निदेश दिया गया।

इस क्रम में पलामू जिलान्तर्गत निर्माणाधीन 5000 मे० टन क्षमता के गोदाम का कार्य पूर्ण कराने तथा CMR भण्डारण हेतु उपयोग किये जाने का निदेश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1000 मे० टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु हजारीबाग, जामताड़ा, पलामू को राशि आवंटित है। उक्त स्थलों पर गोदाम निर्माण में हो रहे विलम्ब के कारणों का निराकरण कर शीघ्र पूर्ण कराने हेतु सचिव भवन निर्माण विभाग एवं संबंधित उपायुक्त से अनुरोध करने का निदेश दिया गया। इस क्रम में पूर्ण नये गोदामों को Functional कराने का निदेश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में 1000 मे० टन, 2500 मे० टन क्षमता के नये गोदाम निर्माण की आवश्यकता के अनुरूप प्रखण्ड परिसर से दूरी पहुँच पथ, सुरक्षा आदि का आकलन कर स्थल का चिन्हितीकरण करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने तथा प्राथमिकता एवं राशि की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी)।

19. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी लाभुकों का शत–प्रतिशत e-KYC की समीक्षाः–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक 80.47% लाभुकों का ही e-KYC सम्पन्न किया गया है। निदेश दिया गया कि e-KYC कार्य में तेजी लाते हुए शतप्रतिशत लाभुकों का e-KYC सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड)।

20. **Aadhaar Seeding एवं Mobile Seeding की समीक्षाः**–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक 95.40% Aadhar Seeding तथा 68.30% Mobile Seeding किया गया है। निदेश दिया गया कि Aadhaar Seeding एवं Mobile Seeding शतप्रतिशत कर लिया जाय। इस निमित्त एन०आई०सी० द्वारा Aadhaar Seeding की प्रक्रिया का विडियो तैयार कर विभागीय Whatsapp ग्रुप के माध्यम से सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ साझा किया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/एन०आई०सी०, राँची)।

21. **जन वितरण प्रणाली दुकानों के निलंबित अनुज्ञप्ति की समीक्षाः–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समीक्षा बैठक एवं VC में बार–बार निदेश दिए जाने के बाद भी निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकानों के मामले के निष्पादन में अभिरूची नहीं ली जा रही है। कई जिलों यथा–बोकारो, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह में एक वर्ष से अधिक की अवधि से निलंबित अनुज्ञप्ति की संख्या (दिनांक 04.06.2026 पाँच माह के उपरांत) भी यथावत सर्वाधिक है। कतिपय जिलों द्वारा निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकानों के कई मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, परन्तु ऑनलाईन पोर्टल पर उक्त कार्रवाई प्रदर्शित नहीं हो पा रही है। इस संबंध में NIC को निदेश दिया गया कि निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकानों से संबंधित मामलों का ऑनलाईन माध्यम से निष्पादन हेतु सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं उनके कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। साथ ही, निदेश दिया गया कि निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकानों से संबंधित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/एन०आई०सी०, राँची)।

22. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत रिक्ति एवं लंबित आवेदनों/Waitlist की समीक्षाः–** समीक्षा के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत रिक्ति एवं लंबित आवेदनों यथा–राशनकार्ड में

नाम जोड़ना, से संबंधित कार्यों का निष्पादन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण के उपरांत एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उनके Login के माध्यम से किये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही, राशनकार्ड सरेण्डर एवं राशनकार्ड में सदस्यों का नाम डिलिट के लंबित आवेदनों का निष्पादन Login के माध्यम से किये जाने का निदेश दिया गया। लाभुकों द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान का बदलाव, परिवार के मुखिया का बदलाव, मोबाईल नम्बर बदलाव, बैंक खाता संख्या बदलाव एवं राशनकार्ड में Relation में बदलाव संबंधी कार्यों का निष्पादन आधार आधारित सत्यापन के उपरांत OTP के माध्यम से लाभुकों द्वारा स्वयं किया जायेगा। राशनकार्ड की प्रविष्टियों यथा–नाम, Gender एवं जन्म तिथि में सुधार e-KYC के माध्यम से किया जायेगा।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/एन०आई०सी०, राँची)।

23. **अन्यान्यः–**

23.1 जन वितरण प्रणाली दुकानों का Latlong Survey के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Survey पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के पश्चात् भी शतप्रतिशत Survey पूर्ण नहीं किया जा सका है। वर्तमान में 1,151 जन वितरण प्रणाली दुकानों (4.6%) का Survey लंबित है। पूर्व में दिए गए निदेश के बावजूद भी अबतक गिरिडीह, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो एवं लातेहार जिलों जन वितरण प्रणाली दुकानों का Latlong Survey औसत से कम है। PVTG डाकिया योजनान्तर्गत PVTG डीलर (प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी) कार्यालय का Latitude & Longitude की स्थिति देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, झारखण्ड/विभाग)।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त की गई।

16/10/26

(संजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– खा०प्र० 4 (विभागीय समीक्षा)–54/2020 (Part-1)–2903/राँची/दिनांक–16/10/2026

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/ /सभी उपायुक्त, झारखण्ड/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, राँची/विभागीय संयुक्त सचिव/उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची, जमशेदपुर, धनबाद/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, झारखण्ड/ संयुक्त निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, राँची/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ PDS-PMU/Team KPMG/श्री मुकेश कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10/26

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 4 (विभागीय समीक्षा)–54/2020 (Part-1)–2903/राँची/दिनांक–16/10/2026

प्रतिलिपि :– विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16/10/26

सरकार के अवर सचिव।